भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 2595
(सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

कारपोरेट अनुपालन ढांचे का डिजिटल आधुनिकीकरण

2595. **श्री विजय कुमार दूबेः**
डॉ. भोला सिंहः
श्री दामोदर अग्रवालः
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः
श्रीमती कमलजीत सहरावतः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः
श्री राजकुमार चाहरः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के अनुपालन ढांचे के अंतर्गत एमसीए वी3 प्लेटफॉर्म, फाइलिंग की केंद्रीकृत प्रक्रिया और ई-न्याय प्रणाली सहित डिजिटल आधुनिकीकरण पहलों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;
(ख) कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के लिए निगमन, सांविधिक फाइलिंग और अनुपालन प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यमों से सरल बनाने के लिए क्या प्रमुख उपाय किए गए हैं;
(ग) इन पहलों से कार्य पूर्ण होने के समय और अनुपालन लागत में कितनी कमी आई है, पारदर्शिता में कितना सुधार हुआ है, भौतिक इंटरफ़ेस कितना बेहतर हुआ है और व्यापार करने में कितनी सुगमता हुई है; और
(घ) क्या सरकार द्वारा व्यापार सुगमता, विनियामक दक्षता और स्वैच्छिक अनुपालन पर डिजिटल अनुपालन सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): एमसीए21 का संस्करण-3 (एमसीए21 वी3) व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने, अनुपालन को मजबूत करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया है। एमसीए21 वी3 के माध्यम से वेब फाइलिंग, एलएलपी मॉड्यूल, कंपनी मॉड्यूल, ई-एनफोर्समेंट, ई-एडजुडिकेशन, ई-कंसल्टेशन, ई-बुक और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जैसी सुविधाएं लागू की गई हैं। सभी फाइलिंग अब वी3 के माध्यम से की जा रही हैं और पोर्टल में पहले से भरे हुए मास्टर डेटा के साथ वास्तविक समय सत्यापन की सुविधा उपलब्ध है, जिससे मैन्युअल त्रुटियां, पुनः प्रस्तुतियां और अनुपालन समयसीमा कम हो जाती हैं।

(ख): निगमन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, एमसीए ने कंपनियों के निगमन हेतु एकीकृत 'स्पाइस+' वेब प्ररूप और एलएलपी के लिए फिलिप (फिलिप) सेवा शुरू की है, जो नाम आरक्षण, निगमन, निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) आवंटन, स्थायी खाता संख्या (पीएएन) और कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या (टीएएन) का अनिवार्य निर्गमन आदि सेवाएं प्रदान करती है। डिजिटल माध्यमों से सांविधिक फाइलिंग और अनुपालन प्रक्रियाओं के संबंध में उठाए गए प्रमुख उपाय उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित हैं।

(ग) एवं (घ): पिछले पांच वर्षों में कंपनी निगमन और नाम आरक्षण के लिए औसत प्रक्रिया समय 1 से 2 दिन रहा है। कई प्ररूपों को स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी) के माध्यम से संसाधित किया जाता है, जिससे बिना किसी भौतिक हस्तक्षेप के पारदर्शी तरीके से अनुमोदन संभव हो पाता है और इस व्यवसाय करने में सुगमता आती है। 2024-25 के दौरान, कुल 12.68 लाख एमजीटी-7/7ए प्ररूपों को एसटीपी के माध्यम से अनुमोदित किया गया। एओसी-4 सशर्त एसटीपी है और इसे प्रपत्र द्वारा सभी सांविधिक सत्यापन मानदंडों को पूरा करने पर ही अनुमोदित किया जाता है। 2024-25 के दौरान, हितधारकों द्वारा फाइल किए गए कुल 10.73 लाख एओसी-4 प्ररूपों में से 98% को स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस के माध्यम से संसाधित किया गया। मंत्रालय ने सिस्टम का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए बहु-कारक प्रमाणीकरण शुरू किया है। इसके अतिरिक्त, डेटा की गोपनीयता और अखंडता बनाए रखने के लिए निजी जानकारी को सार्वजनिक दृश्यता से छिपाने जैसे उपाय लागू किए गए हैं। डिजिटल अनुपालन सुधारों का प्रभाव पिछले कुछ वर्षों में कंपनियों/एलएलपी के पंजीकरण और निगमन की बढ़ती संख्या से परिलक्षित होता है, जैसा कि नीचे दिए गए विवरण में बताया गया है।

□□□□□□□ □□□□	□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□*	□□□□□□ □□□□□□□□	□□□□□□ □□□□□□□□
2020-21	67,10,304	1,55,379	42,187
2021-22	73,16,911	1,67,086	43,054
2022-23	75,32,709	1,59,302	36,249
2023-24	80,77,210	1,85,318	58,991
2024-25	87,79,125	1,81,138	68,974

*फाइलिंग के आंकड़े 28.02.2026 तक हैं

*****